अजमेर में कांग्रेसियों से फीडबैक लेने के लिये राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन के आने से पहले ही कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गये। एक गुट ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया इसके अलावा माइक भी बंद करवा दिया। मामला शांत करने के लिए जब आर.टी.डी.सी. चेयरमैन धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ व रामचन्द्र चौधरी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो दोनों गुटों के बीच जमकर लात-घूंसे चले। स्थानीय कांग्रेसियों ने बाहर से आये नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को मारपीट कर कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया।

अजमेर में पायलट और गहलोत समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई

राजस्थान में कांग्रेस की सह प्रभारी अजमेर शहर के कार्यकर्ताओं का फीड बैक लेने आने वाली थीं, उससे पहले ही मारपीट हो गई

- **शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डेयरी अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी व देहात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में आने पर नाराजगी जताई और इसी बात पर विवाद बढ़ गया।**
- **बाद में धर्मेन्द्र राठौड़ भी कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंच गए तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि स्थानीय कांग्रेसी धर्मेन्द्र राठौड़ के बढ़ते राजनैतिक व प्रशासनिक दखल से नाराज हैं।**

अजमेर, 18 मई, (कासं)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान में कांग्रेस की सहप्रभारी अमृता धवन के अजमेर कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेस के दो गुटों में भारी भिड़ंत हो गई, और विवाद इतना बढ़ा कि धवन के आने से पहले ही पायलट गुट के कांग्रेसियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों गुटों में जमकर लात-घूंसे चले यहां तक कि कार्यक्रम स्थल भी गोविंदम मैरिज गार्डन से बदलकर सर्किट हाउस करना पड़ा।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब आर.टी.डी.सी. चेयरमैन धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ व डेयरी चेयरमैन रामचन्द्र चौधरी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन, उनके समर्थक व स्थानीय कांग्रेसियों ने उनका विरोध किया बात बढ़ गई और जमकर मारपीट हुई। स्थानीय कांग्रेसियों ने दूसरे गुट को मारपीट कर कार्यक्रम स्थल से निकाल दिया। चर्चा है कि सीएम अशोक गहलोत की शह पर आर.टी.डी.सी. अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ को राजनैतिक व प्रशासनिक दखल बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अधिकतर कांग्रेसी नाराज हैं।

अजमेर में कांग्रेस की सचिव व राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन का फीडबैक कार्यक्रम 11 बजे से गोविंदम मैरिज गार्डन में शुरु होना था पर उससे पहले ही मारपीट हो गई। कार्यक्रम शुरु होने से पहले ही अजमेर डेयरी फैडरेशन अध्यक्ष रामचंद चौधरी देहाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए, जिससे बात बिगड़ गई। उसके बाद शहर जिला कांग्रेस ने निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया।

विजय जैन का कहना था कि इस फीडबैक कार्यक्रम में केवल पदाधिकारियों को ही भाग लेना है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा नहीं की जानी चाहिए और इसी बात को लेकर राम चंद्र चौधरी और विजय जैन आपस में भिड़ गये। इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक माने जाने वाले रामचंद्र चौधरी थे तो दूसरी तरफ़ से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक विजय जैन। मसूदा से कांग्रेस विधायक राकेश पारीक, पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर सहित बड़ी संख्या में पायलट समर्थक भी कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना के बाद कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। आर.टी.डी.सी. चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ जब नाराज पायलट समर्थकों को मनाने के लिए पहुंचे तो एक बार फिर पायलट समर्थक उग्र हो गए। उन्होंने राठौड़ के साथ आए एक कार्यकर्ता की पिटाई कर दी, भीड़ के बीच में से पुलिस ने धर्मेन्द्र राठौड़ को बाहर निकाला।

निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि अजमेर शहर के पदाधिकारियों का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, लेकिन वह डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी अपने डेयरी संचालकों के साथ वहां आ गए जिससे बात इतनी बिगड़ गई।

सूत्रों ने बताया कि, आज एआईसीसी की सचिव राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और फीडबैक लेने के लिए अजमेर के गोविंदम मैरिज गार्डन में सुबह 11 बजे पहुंचना था, इससे पहले ही कांग्रेस देहात के पदाधिकारी और अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी अपने समर्थकों के साथ अमृता धवन का स्वागत करने के लिए वहां पहुंच गये। कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन ने देहात के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल से बाहर जाने की बात कही, इसे लेकर देहात और शहर के कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए और देहात के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल से बाहर जाने के लिए इंकार कर दिया। इसके बाद शहर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर आ गए और उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया और साउण्ड सिस्टम भी हटा दिया।

घड़साना मंडी में 60 भेड़ और पांच बकरियों की मौत

अनूपगढ़, 18 मई (कासं)। घड़साना मंडी के गांव 2 आर.के.एम. (कुंडल) में बुधवार देर रात को संदिग्ध परिस्थितियों में 60 भेड़ और 5 बकरियों की मौत हो गई। पशुपालक शौकत अली ने इसकी सूचना आज सुबह सरपंच महावीर बिरट को दी। सूचना मिलने पर सरपंच और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया।

सरपंच ने बताया कि इसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई है मगर अभी तक भेड़ और बकरियों की मौत के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। सरपंच ने बताया कि, मृत पशुओं में से लगभग 10 पशुओं के चोट के निशान भी हैं। माना जा रहा है कि, आसमान से बिजली गिरने से भेड़ और बकरियों की मौत हुई है।

सरपंच महावीर बिरट ने बताया कि, उन्हें पशुपालक शौकत अली ने जानकारी दी कि, देर रात्रि जब तेज बरसात हो रही थी तो वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में सो रहा था और बाहर बाड़े में भेड़ और बकरियां बंधी हुई थीं। शौकत ने बताया कि, सुबह लगभग 3-4 बजे जब वह लघुशंका के लिए उठा तो उसने देखा कि, बाड़े में सभी भेड़ें और बकरियां मृत पड़ी हुई हैं।

- **भेड़ और बकरियों की मौत के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। सरपंच ने बताया कि, मृत पशुओं में से लगभग 10 पशुओं के चोट के निशान भी पाए गए हैं।**

सूचना मिलने पर सरपंच महावीर बिरट, जिला परिषद सदस्य दलीप मेघवाल, राजू जाट, विक्रम ठाकुर सहित अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। सरपंच ने इसकी सूचना तहसीलदार को दे दी है मगर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। सरपंच ने बताया कि, पशुपालक शौकत अली पशुओं के जरिए ही अपना जीवन यापन कर रहा था, अब उसके पास जीवन यापन करने के लिए कोई भी सहारा नहीं है। सरपंच तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है।

तहसीलदार ने बताया कि, घटना की जानकारी मिलने पर डॉक्टर की टीम भी मौके पर भेजी जा रही है और वह खुद भी मौके पर जा रहे हैं।

'वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण कैसे हो रहा है?'

अदालत ने जलदाय विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को सुनवाई के लिए प्रस्तुत होने के आदेश दिए हैं

- **मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि, जलदाय विभाग ने ''नाहरगढ़ नोटिफाईड एरिया'' में बड़ी टंकी के निर्माण कार्य को अनुमोदित कर दिया, जबकि उसने वन विभाग से अनुमति ही नहीं ली है।**
- **याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि, जलदाय विभाग के अनाधिकृत निर्माण की आड़ में कई अन्य स्थानीय लोगों ने नाहरगढ़ की पहाड़ी पर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं और ''सिंकिंग एरिया'' होने के कारण भी यह खतरनाक है।**

जयपुर, 18 मई (कासं.)। राजस्थान हाई कोर्ट ने वन विभाग की भूमि पर जलदाय विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पानी की टंकी बनाने के विरूद्ध दायर याचिका की सुनवाई की और अदालत ने जलदाय विभाग के सचिव, वन विभाग के संरक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शुक्रवार को पेश होने के आदेश दिए। यह आदेश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव तथा न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने मनोज कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए है।

इस मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख तय की थी परंतु समय के अभाव में मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। इसलिए अदालत ने गुरुवार को इस मामले को 'अर्जेंट' सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतीक खण्डेलवाल ने बताया कि ''नाहरगढ़ नोटिफाईड एरिया'' जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, और वहां वन की विभाग अनुमति के बगैर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे बताया कि उक्त जमीन 'सिंकिंग' क्षेत्र यानि धंस रही ज़मीन घोषित की गई है, इसलिए भी यहां कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी बताया गया है कि जलदाय विभाग के द्वारा अनुमोदित इस अवैध निर्माण की आड़ में कई अन्य स्थानीय लोग भी उक्त क्षेत्र में निर्माण कार्य करने लगे हैं और उन्हें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.) द्वारा अनाधिकृत तरीके से बिजली के कनैक्शन भी दिए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने इन अवैध निर्माणों और अनाधिकृत तरीके से बिजली कनैक्शन के बांटे जाने के खिलाफ भी कार्यवाही की गुहार लगाई है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले पर अदालत ने जलदाय विभाग और वन विभाग से जवाब मांगा था, परंतु अभी तक भी दोनों विभागों की और से कोई जवाब दायर नहीं किया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने शुक्रवार को विभागों के अधिकारियों को सुनवाई के लिए पेश होने को कहा है।

द्रविड़ पार्टियाँ, द्रमुक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोनों जगहों पर भाजपा नेताओं के निशाने पर हैं। सभी का कहना है कि राजनैतिक और चुनावी मामलों से डील करने में अन्नामलाई अनुभवहीन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्नामलाई ने एक ही चुनाव लड़ा वो भी 25,000 वोट से हार गए। उन्होंने 2021 में अरावाकुरुची से चुनाव लड़ा था यह भी माना जाता है कि तब भी उनके सहयोगी पार्टी अन्नाद्रमुक के नेताओं से मतभेद थे।

और आज तमिलनाडु में भाजपा और अन्नाद्रमुक के बीच भारी कलह है। भाजपा के लिए तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण हैं जो लोकसभा में 39 सांसद भेजता है। उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में सीटों की संख्या में संभावित कमी को भाजपा दक्षिण भारत से पूरा करना चाहती है, इसीलिए भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अन्नाद्रमुक से गठजोड़ के खिलाफ बोलने पर अन्नामलाई को फटकारा था। अब तमिलनाडु की राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण घटक और आ गया है वह है कर्नाटक मे कांग्रेस की जीत। द्रमुक, जो कि अन्नामलाई द्वारा स्टालिन, उनके बेटे व दामाद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने से सख्त नाराज़ है, चाहेगी कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अन्नामलाई की पृष्ठभूमि और करियर की जाँच करें। अन्नामलाई कर्नाटक के आई.पी.एस. अफसर थे और भाजपा में आ गए थे। द्रमुक चाहती है कि अन्नामलाई पर चुनाव के दौरान लगे आरोप की कांग्रेस जाँच करे। उन पर आरोप था कि चुनाव में लोगों को बांटने के लिए वे बहुत सारी नकदी ले गए थे। इस आरोप को जाँच के बाद हालांकि चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था लेकिन द्रमुक चाहती है कि राज्य पुलिस मामले की जाँच करे। कांग्रेसी जीत का असर कांग्रेस व द्रमुक के गठबंधन पर भी पड़ेगा। अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें माँगेगी।

तेज आंधी से जन जीवन अस्त-व्यस्त

बीदासर, 18 मई (निसं)। कस्बे में बुधवार को आधी रात के बाद तेज अंधड़ आया। लगभग दो घण्टे तक चली इस तेज आंधी से कस्बे की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई। कई जगह पेड़ व बिजली के पोल टूटकर जमीन पर आ गिरे। वहीं घरों में धूल ही धूल हो गई, जिससे गृहणियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंधड़ ने बिजली के कई पोल गिरा दिए जिसके कारण कस्बे सहित आसपास के गावों की बिजली गुल रही।

- **चूरू के बीदासर कस्बे में तेज अंधड़ से पेड़ व बिजली के 12 खम्बे टूट गए, विद्युत विभाग को भारी नुकसान हुआ है।**

जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता राजेश कुमार मीणा ने बताया कि, बुधवार की देर रात आये तेज अंधड़ से क्षेत्र में 12 विद्युत पोल तथा दो डीपी टूट कर जमीन पर आ गिरीं। इससे पूर्व, दो दिन पहले आये अंधड़ में भी क्षेत्र में 150 विद्युत पोल टूटकर चकनाचूर हो गये थे, जिससे विभाग को लाखों रूपये का नुकसान हुआ।

बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक जारी रहेगी

नई दिल्ली, 18 मई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को हटाने से इनकार कर दिया है। यानि कि कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार में जातीय जनगणना पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने से इनकार किया जिसमें बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाई गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक ने दो टूक कहा, पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर इस पर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को इसमें अंतरिम राहत नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट अपनी दी तारीख 3 जुलाई पर सुनवाई कर फैसला नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को यहां दलील सुनेगा।

केन्द्र सरकार प्राइवेट सैक्टर के लोगों को सचिव, निदेशक व उप सचिव के पदों पर नियुक्ति देगी

केन्द्र सरकार ने 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त करने का फैसला किया है

- **आमतौर पर, संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों का पद अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और ग्रुप 'ए' सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है।**
- **बयान में कहा गया है कि, उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश 20 मई, 2023 को आयोग की वैबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई, 2023 से 19 जून 2023 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।**

नई दिल्ली, 18 मई। केंद्र सरकार अपने कुछ विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर करने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के तौर पर भर्ती करने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का तीसरा भर्ती अभियान है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) से ऐसे विशेषज्ञों को 'लेटरल एंट्री' यानी सरकारी विभागों में प्राइवेट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है। आमतौर पर, संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों का पद अखिल भारतीय और ग्रुप 'ए' सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। बयान के मुताबिक, प्रस्तावित भर्ती, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले और भारी उद्योग मंत्रालय के लिये की जाएगी।

कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय के तहत कानूनी मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में भी 'लेटरल एंट्री' के माध्यम से भर्ती की जाएगी। बयान के मुताबिक, इन मंत्रालयों/विभागों में 'लेटरल एंट्री' भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चार संयुक्त सचिवों और 16 निदेशकों/उप सचिवों को शामिल किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश 20 मई, 2023 को आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई, 2023 से 19 जून 2023 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बंगाल में ''द केरल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं है।

पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा, ''फिल्म देश में हर जगह चल रही है। आप पूरे राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते।''

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाने और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने फिल्म निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे का एक बयान भी दर्ज किया कि किसी भी विवाद को शांत करने के लिए 20 मई की शाम 5 बजे तक फिल्म में एक डिस्क्लेमर डाला जाएगा कि 32,000 रूपांतरण के कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं और फिल्म एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है।

बैंच ने फिल्म द केरला स्टोरी देखने का भी फैसला किया, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या स्वीकार्य है या नहीं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह गर्मी की छुट्टियों के बाद मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों के फैसले से उत्पन्न याचिकाओं पर विचार करेगी। इन उच्च न्यायालयों ने उस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी।

जल्लीकट्टू व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार द्वारा पारित कानून में जानवरों के प्रति क्रूरता (यदि कोई हो) का ध्यान रखा गया है।

न्यायमूर्ति बोस ने फैसले का एक हिस्सा पढ़ते हुए कहा कि किसी राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा क्या है, इस पर निर्णय लेने के लिए विधायिका सबसे अच्छी संस्था है और इसे न्यायपालिका द्वारा तय नहीं किया जा सकता है।

छवि परिवर्तन कार्यक्रम के तहत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। रिजीजू ने अपने पूर्व मंत्रालय की ओर से एक नोट पोस्ट किया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ तथा सभी जजों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया है।

भारत को नये विधि मंत्री ऐसे अजीबोगरीब समय पर मिले हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय तथा सरकार के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर प्राय: मतैक्य नहीं रहा है।

रिजीजू का संक्षिप्त कार्यकाल बड़ा विवादास्पद रहा क्योंकि सरकार और न्याय पालिका के बीच प्राय: टकराव की स्थिति बनी रही तथा जजों की नियुक्ति की कोलीजियम व्यवस्था को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की खुली आलोचना की गई।

फरवरी में, सर्वोच्च न्यायालय की दो जजों की एक बैंच ने जजों की नियुक्तियों और तबादलों को मंजूरी दिये जाने में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी। बैंच ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया तथा एक ऐसी ''प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाही की चेतावनी दी थी, जो संभवत: रूचिकर नहीं हो।''

रिजीजू ने इस चेतावनी की उपेक्षा कर दी थी तथा कह दिया था कि देश का शासन संविधान तथा जन आकांक्षाओं के अनुसार चलेगा। उन्होंने एक समारोह में कहा था, ''कभी-कभी कुछ मुद्दों पर देश में चर्चाएं हुआ करती हैं तथा लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कुछ भी कहने से पहले यह सोचना होता है कि ऐसा कहना देश हित में होगा या नहीं।'' उन्होंने जोर देते हुये कहा था कि ''कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को चेतावनी नहीं दे सकता।''

सरकार बनाम न्याय पालिका टकराव उस समय और बढ़ गया था, जब रिजीजू ने गत वर्ष कह दिया था कि कोलीजियम व्यवस्था संविधान के लिये ''परायी'' है तथा उसे जन-समर्थन हासिल नहीं है। उन्होंने कहा था, ''आप यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि संविधान के साथ किसी असम्बद्ध निर्णय को केवल इसलिये देश का समर्थन मिल जायेगा कि वह निर्णय अदालत या कुछ जजों द्वारा लिया गया है।''

उन्होंने संसद द्वारा 2014 में पारित किये गये नैशनल जुडिशियल अपॉइन्टमेंट्स कमीशन (एन.जे.ए.सी.) एक्ट का भी उल्लेख किया था, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों के मामले में सरकार को बड़ी एवं निर्णायक भूमिका प्रदान कर दी गई थी, तथा जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

जहां विधि राज्य मंत्री बघेल को दूसरे मंत्रालय में भेजे जाने के पीछे इस प्रथा का हवाला दिया जा रहा है कि जिस मंत्रालय का मुखिया स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री हो, उसमें कोई सहायक मंत्री नहीं हो सकता, वहीं असली तथ्य यह है कि उन्होंने 8 मई को उस समय एक विवाद को जन्म दे दिया था, जब उन्होंने दावा किया था कि सहिष्णु मुस्लिम नगण्य संख्या में हैं, तथा सहिष्णु नजर आने वाले लोग भी सहिष्णुता को एक मुखौटे के रूप में काम में लेते हैं ताकि वे सार्वजनिक जीवन में बने रहें तथा राज्यपाल एवं उपराष्ट्रपति बन सकें।

सूत्रों का कहना है कि बघेल की यह मान्यता और उसे व्यक्त करने का समय भाजपा हाई कमान के गले नहीं उतरा था क्योंकि अब तो आर.एस.एस. भी मुस्लिमों के रिश्ते सुधारने के प्रयास कर रही है। इसके अलावा, सरकार के स्तर पर यह भी महसूस किया जा रहा है कि सरकार को तनाव कम करने की जरूरत है जो कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान उस समय पैदा हो गई थी, जब यह मानकर साम्प्रदायिक मुद्दे उठाये गये थे कि ऐसा करने से बड़ा चुनावी फायदा मिलने में मदद मिलेगी।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री तथा उनकी सरकार को एक नये रूप में प्रस्तुत करने की कवायद की तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है।

ग्रैनाईट की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

थानाधिकारी ने बताया कि, मृतक अशोक, पुत्र मदन लाल मीणा, नरडी थाना सांवर, महज दो दिन पूर्व ही ग्रैनाईट खदान पर मजदूरी के लिए आया था। गुरूवार को, काटकर रखे हुए ग्रैनाईट के ब्लॉक्स के ढेर से ब्लॉक हटाने के लिए मृतक अशोक फोर्कलैण्ड मशीन से कार्य कर रहा था।

इसी दौरान चट्टान ब्लॉक का बड़ा भाग फोर्कलैण्ड मशीन की केबिन पर आ गिरा, जिससे केबिन में बैठे श्रमिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलने के बाद ग्रैनाईट खादान के संचालक ने मौके पर पहुंचने के बजाय अपने प्रतिनिधि को भेजकर शव का अन्तिम संस्कार करवाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन मृतक के परिजन 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मांग करते हुए मुर्दाघर के पास बैठ गये। दोनों पक्षों के बीच तकरीबन चार घंटे तक चली समझाइश व सहमति वार्ता में आर्थिक सहायता राशि को लेकर सहमति नहीं बन सकी।

ममता बनर्जी ''पटाखा फैक्टरी'' में बम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुभव की बात है कि इस प्रकार के अस्थाई ठिकानों में बने हस्तनिर्मित बमों का इस्तेमाल राजनैतिक हिंसा के लिये किया जाता है।

पुलिस का शक है कि तथाकथित पटाखा फैक्ट्री में इसी प्रकार के कोई क्रियाकलाप चल रहा था तथा कुछ चिनगारियाँ निकलने से इतने जबरदस्त विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। इस ब्लास्ट में कम से कम दस लोग मारे गये तथा बीस लोग घायल हो गये, जिनमें से कुछ जीवन के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इस तथाकथित पटाखा फैक्ट्री का मालिक स्थानीय पंचायत का तृणमूल प्रमुख था। ग्रामीण लोगों ने इस पटाखा फैक्ट्री के अवैध संचालन की शिकायत भी की थी तथा ऐसा संदेह था कि व्यवस्था इन अपरिष्कृत हस्तनिर्मित बमों को बनाने के लिये ढाल का काम कर रही थी।

इस संदेह देखने में इसलिये और भी ज्यादा विश्वसनीय प्रतीत होता है क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं तथा सत्तारूढ़ दल वोटों पर कब्जा करने एवं पंचायत बोर्डों में जीत के लिये ऐसे बमों एवं हिंसा के मदद से दबाव बनाने तथा जोर-जबरदस्ती करने का वीभत्स खेल खेल सकता था।

इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी अवैध फैक्ट्रियाँ केवल दण्डाभाव की स्थिति में ही नहीं चल सकतीं, इनके संचालन के लिये सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रदत्त राजनैतिक संरक्षण भी जरूरी है। एक ऐसे राज्य में, जहाँ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सहमति के बिना न तो एक ईंट लगाई जा सकती है और न हटाई जा सकती है, वहाँ इतने बड़े जोखिम वाली फैक्ट्रियों का सतत संचालन सत्तारूढ़ पार्टी की अनकही/मौन स्वीकृति से ही संभव हो सकता है। इस विस्फोट के तुरन्द बाद, इस पटाखा फैक्ट्री का मालिक, अपने अनुचरों के साथ, त्वरित गिरफ्तारी से बचने के लिये भागकर ओडिशा चला गया बताते हैं। इस स्थिति को भी एक प्रकार गलत चीज माना जा रहा है जो स्थानीय पुलिस तथा राजनैतिक पार्टी के स्तर की मौन अनुमति के चलते ही हो सकती है।

विस्फोट के समाचार की जानकारी मिलते ही, राज्य के विपक्षी दलों ने इस मामले की एन.आई.ए. द्वारा जाँच कराये जाने की माँग शुरु कर दी थी। राज्य पुलिस पर लोगों का ऐसा भरोसा नहीं है कि वह कोई भी काम ''प्रोफेशनली'' करती है। जहाँ ममता बनर्जी इस बात का जबरदस्त विरोध करती कि बंगाल की किसी स्थानीय घटना की जाँच कोई केन्द्रीय एजेंसी करे, लेकिन इस मामले में, बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुये, एन.आई.ए. जाँच की माँग के प्रति सहमति व्यक्त की। विपक्ष का कहना है कि इसका कारण यह है कि विस्फोट बहुत बड़ा और भयानक था तथा इसमें इतने ज्यादा लोग मरे हैं। इसके अलावा, स्थानीय गाँव में स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि सत्तरूढ़ पार्टी का कोई नेता वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सका है। घटना के शीघ्र बाद ही, पार्टी की जो टीम वहाँू गई थी, उसे स्थानीय ग्रामीणों ने यह कहकर लौटा दिया था कि ऐसी घटनाएँ सत्तारूढ़ पार्टी के आक्रामक नेताओं की ढील एवं सक्रिय लिप्तता के फलस्वरूप ही हो सकती हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com **कोटा कार्यालयः**-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 **बीकानेर कार्यालयः**-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 **उदयपुर कार्यालयः**-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 **अजमेर कार्यालयः**-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :**- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :**- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालयः** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908